रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 4, 1986/कार्तिक 13, 1908
No. 455] NEW DELHI, TUESDAY, NOV. 4, 1986/KARTIKA 13, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि तथा न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1986

का.आ. 827 (अ).—उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का 38) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 1 नवम्बर, 1986 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[स. 24/44/86—न्याय]

जे. एस. बधन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 1986

S.O. 827 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the High Court and Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Act, 1986 (38 of 1986), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 1986, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 24|44|86-Jus.]

J. S. BADHAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986